


न्यायालय माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर, 1 मं०००।

राजस्व निगरानी प्रकरण क्र०/

/2006

R2128-III/06



श्रीमती रेणू सिंह पत्नी श्री प्रभाकर सिंह साकिन महुरछ कन्दैला, तहसील
रामपुर बाघेलान, जिला सतना, म०००।

FPSC

-----आवेदिका

बनाम

01- श्रीमती संपत देवी पत्नी श्री रामनिहाल सिंह

02- श्रीमती रेणू सिंह पत्नी दिवाकर सिंह

दोनों निवासी ग्राम महुरछ कन्दैला, थाना व तहसील रामपुर बाघेलान
जिला सतना, म०००। हाल निवास- एल- 434 सरिता विहार नई दिल्ली।

-----अनावेदिकागण.

श्री ~~सनात निवासी~~ द्वारा आज दि० 15-11-06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अवर कमिश्नर रीवा संभाग
रीवा दिनांक 07.10.2006 एवं 07.11.2006 जो
प्रकरण क्र० 10/अपील/06-07 में पारित किया जाकर
आवेदिका के नाम अनुविभागीय अधिकारी रामपुर
बाघेलान, के आदेश दिनांक 30.09.2006 के पालन में
की गई इत्तलायावी को निरस्त किए जाने का आदेश
पारित किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा- 50 म०००भू०रा०सं०।१५९

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

101। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 10/10/06 व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक

R 2128

11/10/06

जिला

सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>25.7.16</p>	<p>आवेदक अतिरिक्त मुकदमा आरंभ अनुपस्थित। अपावेदक की ओर से नि. एल. के. वा. गौरी (उप) आवेदक को करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। अनुपस्थित प्रकरण अदालत में दायित्व विषय अर्थात् 10 लाख का नुकसान दाखिल है।</p>	

ne

सतना